निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 06 / 22
दायरा दिनांक :– 27.01.2022
निर्णय दिनांक :–

उनवान

रामकल्याण पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी धाकडिया पाडा सोहनजी की बाडी बारां
2. अमरीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामेश्वर जाति माली निवासी ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बारां
3. सम्पतबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी पप्पूलाल जाति माली निवासी ग्राम दीवाली तहसील अटरू जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92A,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.5.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज – वादी
2 सिमरनजीत सिंह – प्रतिवादी कम 2,3

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92A,188, आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम कोटड़ी (पाठेडा) तहसील बारां की आराजी खाता जमाबंदी सम्मत 2070–73 की खाता संख्या नया 137 पुराना 135 की आराजी खसरा नं0 428 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 429 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 434 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 435 रकबा 0.24 है0 खसरा नं0 986 / 427 रकबा 0.05 है0 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य उपखण्ड अधिकारी बारां

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

किता 6 रकबा 1.08 है0 स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 की माता मृतक भरोसी पुत्री गोपीलाल के खाते में दर्ज है वादी की माता का देहान्त दिनांक 04.09.2019 को हो चुका है। मृतक भरोसी द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 15.10.2015 को उपरोक्त आराजियात बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की थी तथा उक्त वसीयत में तहरीर किया गया था कि प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजियात में कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा उपरोक्त आराजियात वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 की माता को अपने पिता गोपीलाल से स्त्रीधन के रूप में प्राप्त हुई थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पति थी जिसे वह विधिसम्मत तरीके से अन्तरण करने हेतु सक्षम थी। दिनांक 15.10.2015 की वसीयत के आधार पर वादी वसीयती उत्तराधिकारी होने के कारण उपरोक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

मृतक भरोसीबाई के जीवनकाल से ही वादी उपरोक्त आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उपरोक्त आराजियात से सम्बन्धित त्रण आदि की जिम्मेदारी भी वादी ही वहन करता चला आ रहा है। मृतक भरोसी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी ओर आाराजियात का बेचान चतुर्भुज जी का कर प्रतिवादी कम 1 मोहनलाल को सोहनजी की बाडी बारां में प्लाट लेकर मकान बनवा दिया था तथा अन्य प्रतिवादीगण की शादी व्याह में पर्याप्त धनराशि खर्च कर विवाह सम्पन्न करवाये गये थे मृतक भरोसी गांव में वादी के साथ ही निवास करती थी तथा उसकी मृत्यु के उपरांत वादी द्वारा ही उसके समस्त कियाकर्म ओसर आदि वादी द्वारा ही किये गये थे इस कारण वादी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी द्वारा वसीयत जांच हेतु तहसीलदार बारां को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2020 को प्रस्तुत किया था परन्तु उक्त प्रार्थना पंत्र पर कोई कार्यवाही तहसीलदार बारां नहीं की गई। वर्तमान में जब राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में शिविर का आयोजन पाठेडा में होने पर वादी जब शिविर में गया तब वहां उपस्थित राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस प्रकार वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 04.01.2022 को वादकारण बमुकाम ग्राम पाठेडा व बारां में उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क... की और से इकवाली जवाब पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य उपखण्ड अधिकारी बारां

सदस्य ...लोक अदालत ...

Scanned with CamScanner

वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम कोटडी (पाठेडा) सम्वत 2070–73 खाता सं0 137, नकल वसीयतनामा दिनांक 15.10.2015, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में रामकल्याण का शपथ–पत्र पेश हुआ।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा पेश किया कि वाके ग्राम कोटडी (पाठेडा) 428 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 429 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 434 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 435 रकबा 0.24 है0 खसरा नं0 986/427 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 रकबा 1.08 है0 स्थित है। जिसका मुकदमा श्रीमान के न्यायालय में जेरकार है जिसमें हम सब पक्षकारान उक्त आराजी वादी रामकल्याण पुत्र भैरूलाल के नाम किए जाने में तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। जेरकार प्रकरण में हम प्रतिवादी अमरी बाई, सम्पत बाई तथा हमारे बडे भाई मोहनलाल द्वारा इकवाली जवाब प्रस्तुत कर रखा है। हम सभी पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर रहे है जिससे हमारे परिवार में प्रेम व सोहार्द बना रहे है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी वादी रामकल्याण पुत्र भैरूलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत राजीनामा, रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी कोटड़ी (पाठेडा) सम्मत 2070–73 की खाता संख्या 137 के अनुसार रामभरोसी पुत्री गोपीलाल जाति माली का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 15.10.2015 के अनुसार खातेदार भरोसीबाई द्वारा अपने छोटे पुत्र वादी रामकल्याण के पक्ष में की गई है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं वसीयतनामा के आधार पर भरोसीबाई द्वारा अपने खाते की आराजी की वसीयत दिनांक 15.10.2015 को अपने छोटे पुत्र वादी रामकल्याण को किया जाना पाया जाता है। प्रतिवादी गण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी कम 1 ता 3 की और से इकवाली जवाब पेश कर वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर विवादित आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित करने से प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं है। इससे यह साबित होता है। कि भरोसी द्वारा अपनी भूमि की वसीयत अपने छोटे पुत्र वादी रामकल्याण के पक्ष में करवाई गई थी। वादी को खातेदार कृषक घोषित करने में प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा एवं वसीयत के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:59 IST
Reason: Self Attested

अध्यक्ष सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

:–कियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोटड़ी (पाठेडा) तहसील बारां के खसरा नं0 428 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 429 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 434 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 435 रकबा 0.24 है0 खसरा नं0 986/427 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 रकबा 1.08 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 06/22	धारा अन्तर्गत 88,89,91,92A 188 आर.टी.एक्ट	निर्णय दिनांक : 14-5-22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादी:– सिमरनजीत सिंह	

वाद शीर्षक

उनवान

रामकल्याण पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी कोटडी तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी धाकडिया पाडा सोहनजी की बाडी बारां
2. अमरीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामेश्वर जाति माली निवासी ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बारां
3. सम्पतबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी पप्पूलाल जाति माली निवासी ग्राम दीवाली तहसील अटरू जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोटड़ी (पाठेडा) तहसील बारां के खसरा नं0 428 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 429 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 433 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 434 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 435 रकबा 0.24 है0 खसरा नं0 986/427 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 रकबा 1.08 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14-5-22 .... को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष
सदस्य

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner